


बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक-11/5/2017

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-30/2016 श्र०सं०.....06...../ श्री अमरेन्द्र नारायण,  
श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, जहानाबाद  
एवं अरवल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(संजय कुमार सिंह) 09/5/17  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-30/2016 श्र०सं० .....06...../ पटना, दिनांक-11/5/2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/  
महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार,  
पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग,  
बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के  
आप्त सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी-औरंगाबाद, जहानाबाद एवं  
अरवल/बिहार श्रम सेवा, (सामान्य एवं तकनीकी) संवर्ग के सभी पदाधिकारी/  
मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर,  
(विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव।